

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 114]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 15 मार्च 2016—फाल्गुन 25, शक 1937

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2016

क्र. एफ बी-1-33-2015-2-पांच (7).—स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 8, 10 तथा 78 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नारकोटिक ड्रग्स एण्ड साइकोट्रापिक सब्सटेन्सेस (मध्यप्रदेश) नियम, 1985 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

#### संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 37-घ में, खण्ड (तीन) में, विद्यमान परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“परन्तु वर्ष 2015-16 के लिए यह कालावधि केवल मन्दसौर तथा नीमच जिलों के लिए 1 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2016 तक होगी.”

2. यह संशोधन “मध्यप्रदेश राजपत्र” में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2016

क्र. बी-1-33-2015-2-पांच (7).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. बी-1-33-2015-2-पांच (7), दिनांक 15 मार्च 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 15<sup>th</sup> March 2016

No. F-B-1-33-2015-2-V (7).—In exercise of the powers conferred by Section 8, 10 and 78 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (No. 61 of 1985), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Madhya Pradesh) Rules, 1985, namely :—

#### AMENDMENT

In the said rules, in rule 37-D, in clause (iii), for the existing proviso, the following proviso shall be substituted, namely :—

"Provided that for the year 2015-16 this period shall be from 1<sup>st</sup> April, 2015 to 31<sup>st</sup> March, 2016 only for Mandsour and Neemuch Districts."

2. This amendment shall be deemed to have come into force from the date of its publication in the "Madhya Pradesh Gazette".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
MANOJ SHRIVASTAVA, Principal Secy.